

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 44] दिल्ली, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2010, बृहस्पतिवार/कार्तिक 14—कार्तिक 20, 1932 [सरलाक्षेदि सं 190, 192, 193]
 No. 44] DELHI, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2010, THURSDAY/KARTIK 14—KARTIK 20, 1932 [N.C.T.D. No. 190, 192, 193]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

(कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियों)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सं. फा. स वि/03/स.अ./उत्तर/सह/1090.— दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम—3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, रिवियेरा अपार्टमेंट्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग समिति (03/अ.) को धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम/3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 11-9-2011 तक बढ़ाई जाती है अथवा जब तक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था लागू ना हो जाए या इनमें से जो भी पहले हो।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
 के आदेश से और उनके नाम पर,

वी. के. बैनीवाल, विशेष पंजीयक (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE

(OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2010

No. F. RCS/03(H)/RAOCHS/AR(N)/Coop. 1090.—

In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Rivera Apartment Owners Cooperative Society Ltd. (03/H) from the provisions of Section 37 (1) (b) and accordingly extends appointment of the term of Administrator of the said society up to 11-09-2011 or till the democratic set-up is restored in the society, which ever is earlier.

By Order and in the Name of
 The Lieutenant Governor of the
 National Capital Territory of Delhi,

V.K. BENIWAL, Spl. Registrar (Cooperative)